BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 19 फरवरी 2024

"ऑपरेशन कन्विक्शन"अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी कर गैंगस्टर के 01 आरोपी को 02 वर्ष का कारावास व 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयीः-

अवगत कराना है कि अभियुक्त सोमपाल पुत्र मोहनलाल निवासी बुकलाना थाना नरसैना जनपद बुलन्दशहर द्वारा संगठित गिरोह बनाकर धन अर्जित करने हेतु अपराध करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में दिनांक 01.01.2022 को थाना औरंगाबाद पर मुअसं- 01/22 धारा- 2/3 गैंगस्टर एक्टपंजीकृत किया गया तथा दिनांक 02.07.2022 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 19.02.2024 को मा0 न्यायालय स्पेशल गैंगस्टर एक्ट जनपद बुलन्दशहर द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त सोमपाल को 02 वर्ष का कारावास व 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री योगेश कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

अभियुक्त सोमपाल का आपराधिक इतिहास

01. मुअसं0 01/22 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना औरंगाबाद जनपद बुलन्दशहर।
02. मुअसं0 118/21 धारा 379 भादवि थाना औरंगाबाद जनपद बुलन्दशहर।
03. मुअसं0 1117/21 धारा 380/411 भादवि थाना औरंगाबाद जनपद बुलन्दशहर।
04. मुअसं0 1118/21 धारा 401 भादवि थाना औरंगाबाद जनपद बुलन्दशहर।

मीडिया सेल बुलन्दशहर